न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती गोमती शर्मा आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या /2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये तहसीलदार सायला तहसील सायला जिला जालोर		श्री खीमसिंह वल्द चतरसिंह वगैरह कौम राजपुत निवासी बावतरा

प्रार्थनापत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136
बाबत रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित– 1. सरकारी पैरोकार (तह0 सायला) प्रार्थी की ओर से

आदेश दिनांक 24/5/19

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि डीआईएलआरएमपी प्रोजक्ट के अन्तर्गत वन टू वन मेपिंग के दौरान जांच में जमाबन्दी एवं नक्शे में उपलब्ध खसरों के मिसमेच होने पर सैटलमेंट के दौरान हुई गलतियां पाई गई जिसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत शुद्ध किये जाने बाबत ग्राम बावतरा की मिसल बन्दोबश्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 1618/1899 रकबा 0.45 हे., अन्तरी छगन मोवन पुत्री सवसिंह कानसिंह मोडसिंह दौलसिंह पहाडसिंह पि. सवसिंह मु. पाबु बेवा सवसिंह देवीसिंह वल्द उका कौम राजपूत सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है एवं तद्नुसार जमाबन्दी संवत् 2072–75 में भी उक्त खसरा नम्बर 1618/1899 रकबा 0.45 हे., खीमसिंह वल्द चतरसिंह हमीरसिंह खीमासिंह दलपतसिंह लाखसिंह पि.चतरसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज है ।उक्त खसरा नम्बर पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा, तहसील में उपलब्ध मोमीया ट्रेस एवं शीट में भी अंकित नहीं है । मौके पर उक्त खसरे की पृथक से माठ कायम की हुई है अतः उक्त खसरा नम्बर की तरमीम संलग्न प्रस्ताव के अनुसार किया जाना उचित है । चूंकि उक्त खसरा नम्बर मिसल बन्दोबश्त में है एवं शीट में नहीं है, जो सैटलमेंट की गलती है लिहाजा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व नियम 1956 के तहत दर्ज कर नियमानुसार आदेशित करावें ताकि तरमीम की जा सके जा सके करवाने का निवेदन किया है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सह खातेदार को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ व अप्रार्थी द्वारा ग्राम बावतरा के खसरा नम्बर 1618/1899 रकबा 0.45 हे. आई हुई जो राजस्व नक्शे में दर्ज नही है उक्त खसरा नम्बर को प्रस्तावित अनुसार नक्शे मे तरमीम किया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नही है।

तहसीलदार सायला, भू.अ. निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी हल्का के सयुक्त हस्ताक्षरराथ से अपनी जांच रिपोर्ट एवं उपर्युक्त प्रार्थना पत्र व प्रार्थीगण का सहमती पत्र का का अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम बावतरा की मिसल बन्दोबश्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 1618/1899 रकबा 0.45 हे., अन्तरी छगन मोवन पुत्री सवसिंह कानसिंह मोड़सिंह दौलसिंह पहाड़सिंह पि. सवसिंह मु. पाबु बेवा सवसिंह देवीसिंह वल्द उका कौम राजपूत सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2072–75 में भी उक्त खसरा नम्बर 1618/1899 रकबा 0.45 हे., खीमसिंह वल्द चतरसिंह हमीरसिंह खीमासिंह दलपतसिंह लाखसिंह पि.चतरसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज है ।उक्त खसरा नम्बर पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा, तहसील में उपलब्ध मोमीया ट्रेस एवं शीट में भी अंकित नहीं है । मौके पर उक्त खसरे की पृथक से माठ कायम की हुई है अतः उक्त खसरा नम्बर की तरमीम संलग्न प्रस्ताव के अनुसार किया जाना उचित है । चूंकि उक्त खसरा नम्बर मिसल बन्दोबश्त में है एवं शीट में नहीं है, जो सैटलमेंट की गलती है प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार सायला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के सलग्न नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 1618/1899 रकबा 0.45 हे. को नक्शे में दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। हमने पत्रावली,तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। हम तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट से सहमत है तथा तहसीलदार की जांच व अनुशंषा अनुसार सरहद मोजा बावतरा के खसरा नम्बर 1618/1899 रकबा 0.45 हे. को नक्शे मे दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर सरहद मोजा बावतरा के खसरा नम्बर 1618/1899 रकबा 0.45 हे. को सलग्न नक्श ट्रेस अनुसार नक्शे में दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। सलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार सायला को तहरीर जारी हों।

आदेश दिनांक ......20.05.19...... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोमती शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सायला